

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 405/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.10.2026

□ थाना जीयनपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चौको बाजार में जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त अंकित यादव घायल/गिरफ्तार।

□ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

□ पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश में रामप्रसाद यादव व उनके भाई प्रशान्त यादव पर 11 अभियुक्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था।

घटना का विवरण-

दिनांक 19.10.2026 को वादी मुकदमा रामप्रसाद यादव द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर अभियुक्त सत्यम यादव व घायल अभियुक्त अंकित यादव सहित कुल 11 नामजद अभियुक्तों द्वारा रामप्रसाद यादव व उनके भाई प्रशान्त यादव को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराने के बाद लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें रामप्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी-

दिनांक 22.10.2026 को प्रातः लगभग 03:38 बजे थाना जीयनपुर पुलिस टीम अम्मा आईमा मोड़ से धनछुला मार्ग पर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में थी। इसी दौरान उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकित यादव दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल, आजमगढ़ भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
2. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
3. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में घायल अभियुक्त ने बताया कि वह आजमगढ़ शहर में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था। दिनांक 19.10.2026 को सत्यम यादव के बुलाने पर वह चौको बाजार पहुंचा था, जहां पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर रामप्रसाद यादव व प्रशान्त यादव पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। घटना के बाद वह फरार हो गया था तथा अपने पास अवैध तमंचा व कारतूस रखे हुए था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। मुठभेड़ एवं अवैध असलहा बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, उ0नि0 जाफर खाँ एवं थाना जीयनपुर पुलिस टीम। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़

□ थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत पारिवारिक जमीनी विवाद एवं मुकदमेबाजी की रंजिश में मारपीट के मामले में 08 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

□ अभियुक्तों के कब्जे से 04 डण्डे एवं 02 लोहे के रॉड बरामद।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.10.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आलमपुर में पारिवारिक जमीनी विवाद एवं मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच गाली-गलौज, जान-माल की धमकी तथा लाठी-डण्डे, लोहे की रॉड एवं ईंट-पत्थर से मारपीट की घटना हुई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 125/324(4) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विजयी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 विजयी मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम आलमपुर जाने वाले मोड़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 08 अभियुक्तों एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 04 डण्डे एवं 02 लोहे के रॉड बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का नाम व पता-

1. नारद चौहान पुत्र स्व० लालता चौहान, उम्र करीब 58 वर्ष।
2. रामभवन चौहान पुत्र निर्मल चौहान, उम्र करीब 45 वर्ष।
3. उमेश चौहान पुत्र निर्मल चौहान, उम्र करीब 40 वर्ष।
4. शैलेश चौहान पुत्र सहती चौहान, उम्र करीब 30 वर्ष।
5. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान, उम्र करीब 22 वर्ष।
6. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष।
7. शशांक चौहान पुत्र राजेश चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष।
8. सूर्यभान चौहान पुत्र सहती चौहान, उम्र करीब 55 वर्ष।
9. किरन चौहान पत्नी स्व० दुर्गेश चौहान, उम्र करीब 42 वर्ष।

निवासीगण ग्राम आलमपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 04 अदद डण्डे एवं 02 अदद लोहे के रॉड।

आपराधिक इतिहास-

1. नारद चौहान पुत्र स्व० लालता चौहान

1. मु०अ०सं० 317/2010 धारा 147, 323, 325, 395, 397, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. मु०अ०सं० 569/2007 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु०अ०सं० 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. रामभवन चौहान पुत्र निर्मल चौहान

1. मु०अ०सं० 83/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. मु०अ०सं० 334/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु०अ०सं० 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. उमेश चौहान पुत्र निर्मल चौहान

1. मु०अ०सं० 134/2019 धारा 147, 148, 149, 188, 283, 336, 353, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. मु०अ०सं० 83/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. किरन चौहान पत्नी स्व0 दुर्गेश चौहान
 1. मु0अ0सं0 334/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
5. शैलेश चौहान पुत्र सहती चौहान
 1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 412/2025 धारा 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 3. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 4. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 5. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
6. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान
 1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
7. सूरज चौहान पुत्र सूर्यभान चौहान
 1. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
8. सूर्यभान चौहान पुत्र सहती चौहान
 1. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
9. शशांक चौहान पुत्र राजेश चौहान
 1. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 412/2025 धारा 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 3. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 4. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 5. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5)/125/324(4) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
 1. उ0नि0 विजयी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
 2. हे0का0 सीताराम यादव, का0 बलवन्त यादव का0 दिवाकर मिश्र, का0 लवकुमार यादव, म0का0 खुशबू पासवान, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

❑ महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में वांछित ससुर गिरफ्तार।

❑ थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है, अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश जारी।

घटना का विवरण— दिनांक 21.10.2026 को अमित यादव पुत्र इंद्रजीत यादव निवासी ग्राम चकसेठवल, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ने अपनी बहन अन्तिमा यादव को ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने एवं मारपीट करने के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 85, 115(2), 108 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियोग में मृतका के ससुर रामचन्द्र यादव, ननद पूजा यादव व गुन्जा यादव, देवर आशीष यादव निवासी गण ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद तथा ननदोई अमित यादव निवासी ग्राम रुदरी (सपहिया), थाना रानी की सराय को नामजद किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण— दिनांक 22.10.2026 को उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम फरीदाबाद स्थित घर से अभियुक्त रामचन्द्र यादव पुत्र धुकू यादव, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग— मु0अ0सं0 268/2026, धारा 85, 115(2), 108 बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त— रामचन्द्र यादव पुत्र धुकू यादव, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव
2. कांस्टेबल रवि मौर्य
3. कांस्टेबल मुरारी जायसवाल, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

□ चौको बाजार में जानलेवा हमले के मामले में वांछित एक अन्य अभियुक्त छोटू उर्फ विकास माली गिरफ्तार।

□ इसी मुकदमे में पूर्व में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अंकित यादव घायल/गिरफ्तार हुआ था, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए थे।

घटना का विवरण- दिनांक 19.10.2026 को वादी रामप्रसाद यादव द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई थी कि पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर सत्यम यादव व अन्य अभियुक्तों द्वारा रामप्रसाद यादव एवं उनके भाई प्रशान्त यादव को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिराने के बाद लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें रामप्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त की गिरफ्तारी- दिनांक 22.10.2026 को प्रातः करीब 03:38 बजे थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा अम्मा आईमा मोड़ से धनछुला मार्ग पर पुलिया के पास उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव, निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस तथा एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए थे। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल, आजमगढ़ भेजा गया था।

अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 जाफर खां मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त छोटू उर्फ विकास माली पुत्र सन्तोष माली, निवासी ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को रजादेपुर चौराहे के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. छोटू उर्फ विकास माली पुत्र सन्तोष माली, निवासी ग्राम चौको खुर्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पूर्व में मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त का संक्षिप्त विवरण-

अंकित यादव पुत्र लक्ष्मीकान्त यादव, निवासी कटियारी, थाना घोसी, जनपद मऊ। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार। कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 0428/2026, धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

मुठभेड़ एवं अवैध असलहा बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जाफर खां
2. थाना जीयनपुर पुलिस टीम।

जनपद- आजमगढ़

□ वामा सारथी के तहत संचालित खेल पहल में आजमगढ़ पुलिस लाइन के खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीते 10 स्वर्ण, 13 रजत एवं 04 कांस्य पदक।

□ उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 10 खिलाड़ियों का ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चयन।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में वामा सारथी के तहत संचालित खेल पहल के अंतर्गत पुलिस लाइन आजमगढ़ में बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश के 22 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में आजमगढ़ पुलिस लाइन के 40 बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए 10 स्वर्ण, 13 रजत एवं 04 कांस्य पदक प्राप्त किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 10 खिलाड़ियों का ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ।

इस उपलब्धि पर आईपीएस अधिकारी मानुष पारीक द्वारा खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक, सब-इंस्पेक्टर चंद्रहस राम (टीम मैनेजर), टीम कोच सुनील कुमार शिंदे, सहायक महिला अनामिका शुक्ला, प्रिया सिंह, साधना तथा मुख्य आरक्षी सर्वेश, निखिल मौर्य एवं आकाश कुमार उपस्थित रहे।

पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी-

स्वर्ण पदक विजेता: दीपांशी गुप्ता, सौम्या पटेल, गौरवी गुप्ता, परिधि गुप्ता, अनुराग, स्वामी निषाद, अंशु यादव एवं हर्षिता।

रजत पदक विजेता: श्रेया यादव, गौरवी गुप्ता, समृद्धि ओझा, दिव्यांशी, शिखर वर्मा, परिधि, शिवम वर्मा, अनुराग, गौर आर्यन, गौण आर्यन गुप्ता, स्वाति निषाद, अंशु यादव एवं अनमोला।

कांस्य पदक विजेता: दिश्या सिंह, आरवी जायसवाल, शिशिर चौधरी एवं दीपका।

वामा सारथी के तहत संचालित यह पहल बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने, उनकी प्रतिभा को निखारने तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।